(138)

न्यायालयः राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण .क्रमांक / /I/2016 निगरानी निग – 2544 I-16

1–हरपाल पुत्र दिलीप सिंह

2–ईश्वर सिंह पुत्र दिलीप सिंह

जातियान जाट निवासीगण ग्राम

लहरौनी तह. कराहल जिला श्योपुर

...........निगरानीकर्तागण

बनाम

म.प्र.शासन

...........गैरनिगरानीकर्ता

पंजी क्र. 2874 दिनांक 20-7-16

द्वारा आज दि. 1-8-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी रिुद्व प्रकरण कमांक 21/15–16/स्वमेव निगरानी अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर के नोटिस दिनांक 28/03/16 के विरूद्व</u>

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ताओं की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

<u>निगानी का संक्षिप्त में विवरण :–</u>

यह कि ग्राम लहरौनी स्थित भूमि सर्वे कमांक 158/4मि. रकबा 3.135 हे., सर्वे नं. 159/5 रकबा 3.135 हे. कुल किता 2 कुल रकबा 6.270हे पर आवेदकगण करीबन 15–20 वर्षो से निरंतर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे थे, उसने अपने कब्जे के आधार पर ग्राम की उक्त भूमि पर नामांतरण हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय कराहल के समक्ष कब्जे के आधार पर नामांतरण बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार महोदय कराहल द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुऐ विचरण प्रारम्भ किया और अपने न्यायालयीन प्र.कं. 84/2012–13/अ–6 पर दर्ज करके आदेश दिनांक 19.07.13 से प्रार्थीगण के हित में नामातरण स्वीकार किया गया, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 13.02.14 कमांक/जॉच/प्रतिवेदन/2014/143 श्रीमान कलेक्टर महोदय श्योपुर के समक्ष 61 लोगों के रिुद्व प्रतिवेदन भेजा गया जो अपर कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 17.02.14 को रीडर 2 के लिये मार्क किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार

कमंशः............2

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2547—एक / 16 जिला —श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~17.8.16~~ 17.8.16	आवेदक अधिवक्ता श्री वीर सिंह जादौन उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 21 / 15—16 / स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.3.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा—5 का आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके साथ शपथपत्र भी संलग्न है। 2— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि कब्जे के आधार पर नामांतरण चाहा गया है जिसे तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 19.7.13 को नामांतरण आवेदक के पक्ष में स्वीकार किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.2.14 कमांक / जांच / प्रतिवेदन / 14 / 143 कलेक्टर जिला श्योपुर के समक्ष 61 लोगों के विरूद्व प्रतिवेदन भेजा गया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 28.3.16 को प्रकरण प्रारंभ किया गया जो प्रतिवेदन प्राप्त होने के करीबन 2 वर्ष 1 माह पश्चात प्रकरण सुनवाई में लिया गया है। आवेदक को दिनांक 28.3.16 को नोटिस भेजा गया है एवं दिनांक 11.4.16 को उपस्थित होने के लिये कहा गया। इसी से परिवेदति होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गइ है। 3— मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये एवं उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों में मैं यह पाता हूँ कि अभी आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर है। वह अपना पक्ष वहां रख सकता है।	

आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में भेजी जावे। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य